राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1985/2023

सीताराम मीणा –अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.के. गौतम एवं श्री जितेन्द्र कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 28.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी को निलम्बन से बहाल किया है एवं अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण (नॉन फिल्ड) कोटा रेंज से भरतपुर रेंज में किया है। अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 28.07.2023 को इस हद तक चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का रेंज परिवर्तन कर अपीलार्थी का स्थानांतरण/पदस्थापन भरतपुर रेंज में किये जाने के आदेश दिये गये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी पूर्व में कोटा रेंज में कार्यरत था, जिसे परिवर्तित करना उचित नहीं है। अपीलार्थी को स्थानांतरण के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है, केवल रेंज परिवर्तन का आदेश दिया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में केवलमात्र 5 माह का समय शेष है। ऐसे में अपीलार्थी का दूरस्थ स्थान पर पदस्थापन किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि वर्तमान में स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में अपीलार्थी को रेंज परिवर्तित कर उसे स्थानांतरित करना उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी बीमारियों से पीड़ित है। स्वयं अपीलार्थी हृदय रोग से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का दूर स्थानांतरण करने पर परिवार की देखभाल में काफी कठिनाई होगी। उपरोक्त कथनों के आधार पर अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि उपरोक्त आदेश अपीलार्थी की रेंज परिवर्तन की हद तक अपास्त किया जाये एवं कोटा रेंज में ही पदस्थापित रखा जायें।
2. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी को पूर्व में निलम्बित किया गया था। आदेश दिनांक 28.07.2023 (अनुलग्नक–2) के अवलोकन

से प्रकट होता है कि उच्च स्तरीय पुनर्विलोकन बेठक की समिति में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस द्वारा पंजीकृत आपराधिक प्रकरणों में निलम्बित कार्मिकों की बहाली का निर्णय लिया गया है। जिसके उपरांत आदेश दिनांक 28.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन (नॉन फिल्ड) में कोटा रेंज से भरतपुर रेंज में किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने एसीबी/पुलिस द्वारा पंजीकृत आपराधिक प्रकरणों में निलम्बित उप निरीक्षकों की बहाली के संबंध में यह निर्णय लिया है कि उन व्यक्तियों को जिन्हें निलम्बन से बहाल किया गया है, उन्हें पदस्थापन (नॉन फिल्ड) में किया गया है और उन्हें अपनी रेंज से दूसरी रेंज में रखा गया है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उक्त निर्णय एसीबी/पुलिस द्वारा पंजीकृत आपराधिक प्रकरणों में निलम्बित उप निरीक्षकों की बहाली के संबंध में लिया गया है और बहाली के बाद उन्हें रेंज परिवर्तन कर दूसरी रेंज में पदस्थापित किया गया है, जो पुलिस निदेशालय ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए लिया गया है, जिसमें कोई त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है।

4. उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)